

2. उक्त राशि का व्यय वहन भाग-23 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष-2852- उद्योग, उपमुख्य शीर्ष-80- सामान्य, लघु शीर्ष-102- औद्योगिक उत्पादकता, उपशीर्ष-0160-पी-प्रोडक्शन एवं पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की योजना, विपणन कोड - P2852801020160 राज्य योजना स्क्रीन कोड-IND-5432 विषय शीर्ष 33 01 सांख्यिकी में द्वितीय अर्धवर्षिक आगमन से उपबंधित एवं आवंटित राशि से की जाएगी।

(iii) डेकाडे डी0जी0 सेट/कैप्टिव पावर संयंत्र/रोटर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत से उत्पादित ऊर्जा का उपयोग मात्र अपनी डेकाडे के लिए करेगा।

(ii) डेकाडे द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य/ प्रमाण-पत्रों/ अभिलेखों के अभाव में गलत पाए जाते एवं अर्जटल की योजना में गति पाए जाने पर अर्जटल की राशि वसूल कर ली जाएगी।

(i) डेकाडे अर्जटल प्राप्ति के पश्चात् 5 वर्षों तक कार्यालय रहेगी। यदि 5 वर्षों के अंदर डेकाडे बिना किसी औचित्य के बंद होती है तो अर्जटल की राशि सौदा डेकाडे से वसूल की जाएगी।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अंतर्गत रूक्ष, लघु एवं मध्यम प्रक्षेत्र की औद्योगिक डेकाडेयों को डी0जी0 सेट/कैप्टिव पावर प्लांट की स्थापना पर रैय अर्जटल हेतु उद्योग निदेशक की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक-27.08.2015 में लिए गए निर्णय तदनुसार बैठक की कार्यवाही डेकाडे डेकाडे-3650 दिनांक-08.09.15 के आलोक में सर्वश्री मीनाक्षी ऊरल एपी बिजनेस प्रा0 लि0, ग्रा0-बादपुरा, पी0-वलीगाव, पादपुर, जिला-वैशाली को ₹9,49,883.00 (नौ लाख उचास हजार आठ सौ तिरसी रूपए मात्र) डी0जी0 सेट मर में अर्जटल के रूप में स्वीकृत निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

विषय:- औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2011 के अंतर्गत सर्वश्री मीनाक्षी ऊरल एपी बिजनेस प्रा0 लि0, ग्रा0-बादपुरा, पी0-वलीगाव, पादपुर, जिला-वैशाली को ₹9,49,883.00 (नौ लाख उचास हजार आठ सौ तिरसी रूपए मात्र) अर्जटल के राशि की निकाली एवं अर्जटल की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

बिहार सरकार
उद्योग निदेशक, बिहार, पटना

महालेखाकार (ले0 एवं ह0),
बिहार, पटना।

सेवा में,

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे।
4. इस राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन पटना से होगी। कृपया ड्राफ्ट पर नाम के साथ-साथ खाते का विवरण भी अंकित किया जाए।
5. इस राशि की निकासी "पूर्व प्राप्ति रसीद" पर कोषागार फार्म संख्या 25 पर की जाएगी।
6. इस राशि का भुगतान सर्वश्री मीनाक्षी रूरल एग्री बिजनेस प्रा० लि०, ग्रा०-चाँदपुरा, पो०-वलीगाँव, पातेपुर, जिला-वैशाली को RTGS/NEFT के माध्यम से की जाएगी।

ह०/-

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना

ज्ञापांक-.....

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कृपया ड्राफ्ट पर नाम के साथ-साथ खाते का विवरण भी अंकित किया जाए।

ह०/-

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना


ज्ञापांक-..... 520

पटना, दिनांक..... 05.02.16

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, बिहार, पटना/ महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ लेखा शाखा, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को दो प्रतियों में /प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/ योजना शाखा, प्रशाखा-01 (सरकार)/ आई० टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ सर्वश्री मीनाक्षी रूरल एग्री बिजनेस प्रा० लि०, ग्रा०-चाँदपुरा, पो०-वलीगाँव, पातेपुर, जिला-वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना
4.2.16